

लघु खनिज पट्टों की स्टार रेटिंग के लिए स्व-मूल्यांकन टेम्पलेट
रिपोर्टिंग वर्ष (वर्ष) :-

भाग- क: सामान्य जानकारी

पट्टे का विवरण

- राज्य सरकार द्वारा आवंटित विशिष्ट पट्टा आईडी:
- पट्टा सीमा निर्देशांक (अक्षांश और देशांतर):
 - अक्षांश :
 - देशांतर :(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निदेशांक जोड़े जा सकते हैं)
- खेसरा/सर्वे नंबर:
- मौजा/अंचल:
- गाँव:
- जिला:
- राज्य:
- कुल पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर):
 - वन भूमि (हेक्टेयर) :
 - निजी भूमि (हेक्टेयर) :
 - राजस्व भूमि (हेक्टेयर) :
 - चारागाह भूमि (हेक्टेयर) :
 - अन्य (यदि कोई हो, तो बताएं) (हेक्टेयर) :
- खनिज (जो):
- पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध कुल संसाधन (खनिज-वार): (टन में)
- पट्टा अवधि (से-तक): से

पट्टेदार का विवरण

- पट्टेदार का नाम:
 - (कंपनी या साझेदारी फर्म के मामले में, कंपनी/फर्म के नाम के साथ-साथ प्रबंध निदेशक या प्रबंध साझेदार का नाम या मालिकाना फर्म के मामले में स्वामी का नाम प्रदान करें)
- पट्टेदार का प्रकार : (व्यक्ति/कंपनी/साझेदारी फर्म/अन्य)
- पता:
- मोबाइल नंबर:
- ई मेल पता:

कार्य विवरणी

- खनन का तरीका: [ओपनकास्ट/अंडरग्राउंड/ओपनकास्ट और अंडरग्राउंड/खदान]
- दाखिल करने की तिथि पर पट्टे की स्थिति: [कार्यरत/अस्थायी रूप से बंद/कार्यरत नहीं/निलंबित]
- रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या:
- रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अस्थायी बंदी के दिनों की संख्या:
- रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान निलंबन के दिनों की संख्या:
- स्टार रेटिंग टेम्प्लेट दाखिल करने के लिए जिम्मेदार अभिकर्ता (एजेंट)/प्रबंधक का नाम और संपर्क विवरण:

सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुमोदन/सहमति

1. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना का विवरण।
 - वैधता: से तक
 - अनुमोदित मात्रा (वर्षवार):
 2. प्राप्त पर्यावरणीय मंजूरी का विवरण:
 - वैधता: से तक
 - अनुमोदित मात्रा (वर्षवार):
 3. एसपीसीबी अनुमोदन (वायु/जल) का प्राप्त विवरण:
 - वैधता: से तक
 - अनुमोदित मात्रा (वर्षवार):
 4. प्राप्त वन मंजूरी का विवरण (यदि लागू हो):
 5. क्या पट्टेदार ने सरकार से सभी आवश्यक एनओसी/प्रमाणपत्र/परमिट प्राप्त कर लिया है?
 - (डीजीएमएस/ब्लास्टिंग लाईसेंस/अन्य):
-

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सरकारी खजाने में अंशदान

- स्वामिस्व (रॉयल्टी) भुगतान :
- नियत लगान (डेड रेंट) का भुगतान (यदि लागू हो) :
- डीएमएफ में अंशदान (रु0 में) :

भाग- ख: सतत खनन
(अधिकतम अंक : 30)

मॉड्यूल- I व्यवस्थित और सतत खनन				(पत्थर खनन पट्टा के लिये) (अधिकतम अंक : 30)		
1.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान खनिजवार कुल उत्पादन:	स्वीकृत मात्रा (टन में)	वास्तविक (टन में)	• $\geq 50\%$ से 100% (5 अंक) • 30% और 50% के बीच (2 अंक) • $\leq 30\%$ और $> 100\%$ (0 अंक) • [स्वचालित रूप से गणना की जायेगी]	5	
2.	रिजेक्ट डंप प्रबंधन (ऊपरी मिट्टी को छोड़कर)	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार		हाँ (3 अंक) नहीं (0 अंक)	3	
3.	सुरक्षित और स्थिर बेंचों (खुले गड्ढे) या ड्राइवों (भूमिगत) का निर्माण	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार		हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)	5	
4.	धूल दमन के उपाय	क्रशर संयंत्र ढँका हुआ (पट्टा क्षेत्र के भीतर या आसपास)		हाँ (4 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	17 [जहाँ कोई क्रशर/ कोई ड्रिलिंग नहीं होती है, वहाँ अधिकतम 12 अंक होंगे]	
		ढके हुए वाहनों में खनिज का परिवहन		हाँ (4 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं		
		पानी का छिड़काव		हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)		
		गीली ड्रिलिंग		हाँ (4 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं		

भाग- ख: सतत खनन
(अधिकतम अंक : 30)

मॉड्यूल- I व्यवस्थित और सतत खनन				(बालू खनन पट्टा के लिये) (अधिकतम अंक : 30)		
1.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान खनिजवार कुल उत्पादन:	स्वीकृत मात्रा (टन में)	वास्तविक (टन में)	• $\geq 50\%$ से 100% (8 अंक) • 30% और 50% के बीच (3 अंक) • $\leq 30\%$ और $> 100\%$ (0 अंक) • [स्वचालित रूप से गणना की जायेगी]	8	
2.	सुरक्षित और स्थिर बेंचों (खुले गड्ढे) का निर्माण	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार		हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)	5	
3.	धूल दमन के उपाय	बालू भंडारण ढँका हुआ (पट्टा क्षेत्र के भीतर या आसपास)		हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	17	
		ढके हुए वाहनों में खनिज का परिवहन		हाँ (6 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं		
		पानी का छिड़काव		हाँ (6 अंक) नहीं (0 अंक)		

मॉड्यूल- II
(सभी लघु खनिजों के लिये)
पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण
(अधिकतम अंक : 25)

1.	पर्यावरणीय मापदंडों की अनुपालन रिपोर्टिंग (वायु, जल, आदि)	एसपीसीबी मानदंडों के अनुसार (प्रस्तुत किया जाना है)	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)	5	
2.	पर्यावरणीय मापदंडों की अनुपालन रिपोर्टिंग (EC शर्त के अनुसार)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार (प्रस्तुत किया जाना है)	हाँ (6 अंक) नहीं (0 अंक)	6	
3.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अनुमोदित दस्तावेजों (EC/FC) के अनुसार किया गया कुल वृक्षारोपण/प्रतिपूरक वनरोपण	स्वीकृत मात्रा (संख्या)	वास्तविक (संख्या) • 80-100: (4 अंक) • >50<80% (2 अंक) • <=50% (0 अंक) • लागू नहीं	4	
4.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान वृक्षारोपण के प्रथम वर्ष के दौरान पौधों के जीवित रहने की दर	लगाए गए पौधों की संख्या	पहले वर्ष के बाद जीवित बचे पेड़/पौधे की संख्या (% में) • 70-100 % (6 अंक) • >50<70% (3 अंक) • <=50% (0 अंक)	6	
5.	पीने, कृषि, खनन, अन्य गतिविधियों आदि के लिये पुनर्नवीनीकृत जल का उपयोग।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है (मूलपाठ)	हाँ (4 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	4	

मॉड्यूल- III
श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण
(सभी लघु खनिज के लिये)
(अधिकतम अंक : 15)

1.	कुल कर्मचारियों/श्रमिकों का % जिन्हें डीजीएमएस द्वारा अनुमोदित कार्मिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) अर्थात् हेलमेट, जूते, दस्ताने और धूल मास्क आदि प्रदान किये गए हैं।	औसत कुल रोजगार	कुल रोजगार का % जिन्हें पीपीई प्रदान किया गया।	• 100% (2 अंक) • >50<100% (1 अंक) • <=50% (0 अंक)	2	
2.	कुल रोजगार का % जिनका खान नियमावली 1955 के अनुसार आवधिक चिकित्सा परीक्षण (पीएमई) किया गया है।	औसत कुल रोजगार	कुल रोजगार का % जिसे नियमों के अनुसार पीएमई किया जाता है।	• 100% (2 अंक) • >50<100% (1 अंक) • <=50% (0 अंक)	2	
3.	सभी श्रमिकों को पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान।	विवरण प्रदान किया जाना है। फोटो अपलोड किया जाना है।	हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2		
4.	महिला कर्मचारियों के लिये बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान, जैसे क्रेच, शौचालय और विश्रामगृह।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है। फोटो अपलोड किया जाना है।	हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2		
5.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान खान श्रमिकों में सिलिकोसिस या अन्य उपजीविकाजन्य रोग के पाये गये मामले।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (0 अंक) नहीं (2 अंक)	2		
6.	सीएसआर के हिस्से के रूप में खान श्रमिकों/आसपास के क्षेत्रों के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2		

7.	खान खतरों/बचाव कार्य से निपटने के लिए प्रावधान।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
8.	श्रमिकों/मजदूरों/मशीन ऑपरेटरों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक छह माह में)	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (1 अंक) नहीं (0 अंक)	1	

मॉड्यूल- IV (पत्थर खनन पट्टा के लिये)					
वैधानिक अनुपालन (अधिकतम अंक : 30)					
1.	सभी रिटर्न और अंतिम निर्धारण प्रस्तुत करना।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (10 अंक) नहीं (0 अंक)	10	
2.	किसी भी सरकारी एजेंसी अर्थात् डीजीएमएस, एमओईएफ, एसपीसीबी द्वारा बताए गये सभी उल्लंघनों का सुधार	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	5	
3.	नियम (खान योजना) के अनुसार सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति अर्थात् खान प्रबंधक, फोरमैन, खनन मेट और ब्लास्टर	नाम उपलब्ध कराए जाने हैं (नियुक्ति पत्र)	सभी हाँ के लिए 8 अंक (प्रत्येक श्रेणी के लिए दो अंक)	8	
4.	सीमा निर्देशांक के साथ पट्टा विलेख का निबंधन	सीमा निर्देशांक के साथ पट्टा विलेख का निबंधित प्रति उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
5.	नियमानुसार पट्टा क्षेत्र में डीजीपीएस सीमा स्तंभों का निर्माण	विवरण और फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)	5	

मॉड्यूल- IV वैधानिक अनुपालन		(बालू खनन पट्टा के लिये) (अधिकतम अंक : 30)			
1.	सभी रिटर्न और अंतिम निर्धारण प्रस्तुत करना।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (15 अंक) नहीं (0 अंक)	15	
2.	किसी भी सरकारी एजेंसी अर्थात् डीजीएमएस, एमओईएफ, एसपीसीबी द्वारा बताए गये सभी उल्लंघनों का सुधार	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	5	
3.	सीमा निर्देशांक के साथ पट्टा विलेख का निबंधन	सीमा निर्देशांक के साथ पट्टा विलेख का निबंधित प्रति उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
4.	नियमानुसार पट्टा क्षेत्र में डीजीपीएस सीमा स्तंभों का निर्माण	विवरण और फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (8 अंक) नहीं (0 अंक)	8	

समग्र प्रदर्शन और स्टार रेटिंग

	मॉड्यूल का नाम	सभी मॉड्यूल में लागू अधिकतम अंकों का योग (क)	सभी मॉड्यूल में प्राप्त अंकों का योग (ख)	प्रतिशत (ख/क)*100
मॉड्यूल I	व्यवस्थित एवं सतत खनन	30		
मॉड्यूल II	पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण	25		
मॉड्यूल III	श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण	15		
मॉड्यूल IV	वैधानिक अनुपालन	30		
कुल		100		
प्राप्त %				
स्टार रेटिंग				

स्टार रेटिंग मानदंड

प्राप्त प्रतिशत	मानदंड
$\geq 80\%$ से 100% :	5 स्टार
$\geq 60\%$ से $< 80\%$:	4 स्टार
$\geq 50\%$ से $< 60\%$:	3 स्टार
$\geq 40\%$ से $< 50\%$:	2 स्टार
$\geq 25\%$ से $< 40\%$:	1 स्टार
$\leq 25\%$	कोई रेटिंग नहीं

प्रमाणपत्र

मैं, (नाम) (पदनाम) पट्टेदार की ओर से इस दस्तावेज को भरने के लिए प्राधिकृत हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रदान की गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और अभिलेखों पर आधारित है।

- तारीख:
- स्थान:

अभिकर्ता (एजेंट)/प्रबंधक का नाम